मध्यप्रदेश शासन.
सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञापन

क्रमांक २१-३ ।१०८७।१(३) भोपाल, तारीख २-११ अक्टूबर, ७०

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- शासकीय सेवकों को सेवा से हटाये जाने के बाद उनकी पुनर्नियुक्ति के लिये प्रक्रिया ।

उपर्युक्त विषय पर सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक १८७६।२४८०।१(३) दिनांक ४-५-१९५५ द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के तारतम्य में यह निर्णय लिया गया है कि जब कभी भी किसी शासकीय सेवक को अनुशासनात्मक आधार पर नौकरी से निकाला जाता है, तो, उसकी सूचना पुलिस उप महानिरीक्षक : अपराध एवं रेलवे: मध्यप्रदेश को भेजनी चाहिये जिससे कि उस कर्मचारी का नाम "पुलिस क्रिमनल इंटलीजेंस गजेट" में छापा जा सके और जिला विशेष शाखा उसे अपने यहां अंकित कर उसके पूर्व इतिहास तथा आचरण के परीक्षण के मौके पर उसका उपयोग कर सकें । इसका परिणाम यह होगा कि जब कभी भी किसी ऐसे शासकीय सेवक को किसी अन्य विभाग में नौकरी देने के पूर्व उसके पूर्व इतिहास आदि की जांच कराई जायेगी तो उस समय नियुक्ति प्राधिकारी को उसके पूर्व में सेवा से हटाये जाने का कारण मालूम हो सकेगा । यह सूचना पाने के बाद नियुक्ति अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग के उपर्युक्त आदेशानुसार, पूर्व नियुक्ति अधिकारी से पूछताछ कर सकेगा ।

(म. श. सिंहदेव)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.